राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1880/2013/भीलवाड़ा.

मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, भीलवाड़ा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी व श्री पारस पाटनी,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27/10/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 75/वैट/12–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.05.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित आदेश दिनांक 17.07.2012 की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 23.06.2012 को मैसर्स हितेश रोड़लाईन्स भीलवाड़ा के गोदाम पर वाहन संख्या आर.जे.06/जी.बी.–2995 को खाली होते हुए चैक किया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित जी.आर. संख्या 510 दिनांक 9.6.2012 एवं इन्वॉयस संख्या BB12000006 दिनांक 01.06.2012 पेश किये गये। उक्त दस्तावेजों से तिरूपुर (तमिलनाडू) से भीलवाड़ा के लिये 'यार्न' परिवहनित किया जाना पाया गया। माल अधिसूचित श्रेणी का होते हुए भी घोषणा–पत्र वैट–47 पेश नहीं किये जाने के कारण माल परिवहन में 76(2)(बी) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा–पत्र

लगातार.....2

वैट—47 संख्या 9572488 प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया कि उनके द्वारा उनके तिरूपुर डिपो को माल भिजवाया गया था, जो बेचान के अभाव में पुनः वापस आया है। अतः यह विक्रय वापसी है, जिसके साथ बिल व बिल्टी संलग्न थे। संव्यवहार के लिये घोषणा—पत्र की आवश्यकता नहीं थी, अतः भिजवाया नहीं गया। आपके नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत कर रहे हैं। सक्षम अधिकारी ने उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए माल परिवहन में धारा 78(2)(बी) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 44,224/— एवं वैट रूपये 7,371/— का आरोपण आदेश दिनांक 17.7.2012 से किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2013 से अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रश्नगत परिवहनित माल के सम्बन्ध में बिल व बिल्टी प्रस्तुत कर दिये गये थे। उनके द्वारा तिरूपुर डिपो को माल भेजा गया था, जो नहीं बिक पाने के कारण, वापस आ रहा था। जवाब के साथ घोषणा—पत्र वैट—47 भी पेश कर दिया गया था। इसके बावजूद सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में धारा 78(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों का पूर्ण परीक्षण किये बिना, सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. सक्षम अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि माल खाली करते समय चैक किये जाने पर वाहन चालक द्वारा माल से सम्बन्धित बिल्टी एवं इन्वॉयस प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि होना सक्षम अधिकारी द्वारा उल्लेखित नहीं किया गया है। घोषणा—पत्र वैट—47 नहीं

लगातार.....3

पाये जाने पर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस की पालना में पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्तुत कर दिया गया, जिसमें भी किसी प्रकार की त्रुटि होना सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी.पी.मैटल्स** में प्रतिपादित सिद्धान्त की पालना हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि विवादित माल व्यवहारी के तिरूपुर डिपो को बिकने के लिये भिजवाया गया था, जो नहीं बिक पाने के कारण वापस आ रहा था। माल के साथ आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध थे। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए, धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश की पुष्टि किया जाना भी त्रुटिपूर्ण है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर, अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2013 सक्षम अधिकारी के वैट आरोपण को अपास्त किये जाने की सीमा तक यथावत रखते हुए, वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति की पुष्टि किये जाने की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 17.07.2012 को अपास्त किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया ।

मनोहर पुरी 27.10.2014

(मनोहर पुरी)
सदस्य